अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ त्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया या। प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के ादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा नजरीनक्शानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 22.10.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा रोटू, दुगोली के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा रोटू के खेत खसरा नंबर 124 रकबा 4.7348 हैक्टेयर, खसरा नंबर 547 रकबा 2.3553 हैक्टेयर, खसरा नंबर 569 रकबा 2.1772 हैक्टेयर, खसरा नंबर 572 रकबा 4.2249 , खसरा नंबर 630 रकबा 2.2015 हैक्टेयर की सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी वादीगण संख्या 1 से 4 के सामलाती हक बंट में चाही गई है तथा शेष मौजा दुगोली के खेत खसरा नंबर 396 रकबा 6.9201 हैक्टेयर, खसरा नंबर 396/1813 रकबा 2.9218 हैक्टेयर व मौजा रोटू का खेत खसरा नंबर 424 रकबा 2.9785 हैक्टेयर की भूमि यथावत 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रखी गई है। अतः मौजा रोटू के खाता संख्या 426 के खेत खसरा नंबर 124 रकबा 4.7348 हैक्टेयर, खसरा नंबर 547 रकबा 2.3553 हैक्टेयर, खसरा नंबर 569 रकबा 2.1772 हैक्टेयर, खसरा नंबर 572 रकबा 4.2249 , खसरा नंबर 630 रकबा 2.2015 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण संख्या 1 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 लेखराम उर्फ लेखाराम के साथ सहखातेदार घोषित कर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा रोटू के खाता संख्या 426 के खेत खसरा नंबर 124 रकबा 4.7348 हैक्टेयर, खसरा नंबर 547 रकबा 2.3553 हैक्टेयर, खसरा नंबर 569 रकबा 2.1772 हैक्टेयर, खसरा नंबर 572 रकबा 4.2249 , खसरा नंबर 630 रकबा 2.2015 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण संख्या 1 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 लेखराम उर्फ लेखाराम के साथ सहखातेदार घोषित कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

1. वादीगण संख्या 1 से 4 कमशः सरला, लक्ष्य ,देवेश, देवाशूं के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रोटू के खेत खसरा नं. 124 रकबा 4.7348 हैक्टेयर, खसरा नंबर 547 रकबा 2.3553 हैक्टेयर, खसरा नंबर 569 रकबा 2.1772 हैक्टेयर, खसरा नंबर 572 रकबा 4.2249 , खसरा नंबर 630 रकबा 2.2015 हैक्टेयर रखे जाकर खातेदार घोषित किये जाते हैं।
2. वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित खसरान् में से एवं पैरा संख्या 4 के ख के अनुसार शेष खेताय मौजा दुगोली व रोटू के यथास्थिति में प्रतिवादी संख्या संख्या 1 लेखराम उर्फ लेखाराम के रखे जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 24/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

24/02/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned with CamScanner